

Email

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल

(Telephon No.0755-2557727,Fax No.0755-2552899)

(E-mail address:-dirpanchayat@mp.gov.in)

कमांक-पंचा./अधि./2015 16964

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

प्रति,


1. मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन के संबंध में।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 को शासन की जनहितैषी नीतियों तथा ग्रामीणजन की अपेक्षाओं के अनुकूल व्यावहारिक बनाने का राज्य शासन ने निर्णय लिया है।

अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन में जो कठिनाईयों आपको आ रही है उस संबंध में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव निश्चित रूप से भेजें ताकि उनका परीक्षण कर अधिनियम में शामिल किया जाने पर विचार किया जा सके।

आप अपने सुझाव संचालनालय में श्रीमती शिवानी वर्मा, संयुक्त संचालक (पंचायत) को 15 दिसम्बर 2015 तक आवश्यक रूप से भेजें।


(रघुवीर श्रीवास्तव)

आयुक्त

पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश